भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवी/2025-26/371

विवि.एफआईएन.आरईसी.290/03-10-038/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सूक्ष्म वित्त संस्थान) निदेश, 2025

विषय वस्तु

अध्याय-I - प्रारंभिक 2

अध्याय-II - निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण आवश्यकताएं 6

अध्याय-III - अर्हकारी आस्तियां और अनुमेय गतिविधियां 7

अध्याय-IV - विवेकपूर्ण विनियमन 9

अध्याय-V - शेयरधारिता और कॉर्पोरेट अभिशासन 12

अध्याय-VI - जोखिम प्रबंधन 13

अध्याय-VII - विविध निदेश 14

अध्याय-VIII - निरसन और अन्य प्रावधान 19

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45जेए, 45एल और 45एम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा है और इस बात से संतुष्ट होकर कि, राष्ट्र के हित के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने और किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) के मामलों को निवेशकों के हित के लिए हानिकारक या ऐसे एनबीएफसी-एमएफआईस के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित होने से रोकने के उद्देश्य से, इसके प्रत्येक एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अनुपालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सूक्ष्म वित्त संस्थान) निदेश, 2025, जिसे इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है, जारी करता है।

अध्याय-I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सूक्ष्म वित्त संस्थान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश उस दिन से प्रभावी होंगे जिस दिन उन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी-एमएफआईस' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी-एमएफआई' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्या 2) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं।

सी. अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

4. निम्नलिखित निदेशों में निहित प्रावधान, जहां भी इन निदेशों की सामग्री के विरोधाभासी नहीं हैं, एनबीएफसी-एमएफआईस को उस लेयर के आधार पर लागू होंगे जिसमें एनबीएफसी-एमएफआई को वर्गीकृत किया गया है:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 10, 11, 13, 14 और 15।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6 से 19, 23 से 33 और 50 से 57।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 पैराग्राफ 6(3) और 6(4) को छोड़कर।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 पैराग्राफ 6(1), 6(2) और 17 को छोड़कर।

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(10) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025।

(11) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025।

(12) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय की मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025।

(13) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025।

(14) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का ट्रीटमेंट) निदेश, 2025।

(15) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025।

(16) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025।

(17) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिम का प्रबंधन) निदेश, 2025।

(18) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025।

(19) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

(20) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025।

(21) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025।

(22) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट कार्ड: जारी करना और आचरण) निदेश, 2025।

(23) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025।

(24) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्वैच्छिक विलय) निदेश, 2025।

(25) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - विविध) निदेश, 2025 के अध्याय II और III ।

5. इन निदेशों में निहित अनुदेश एनबीसी-एमएफआईस पर उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक अनुदेशों के अतिरिक्त लागू होंगे, न कि उनके स्थान पर।

6. एनबीएफसी-एमएफआई समय-समय पर संशोधित 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलापन पर मार्गदर्शन नोट' का उपयोग कर सकती है।

डी. एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत विनियामक संरचना

7. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट स्केल आधारित विनियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर एनबीएफसी-एमएफआई विनियामक संरचना के किसी भी स्तर में हो सकती है।

ई. परिभाषाएं

8. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, यहां दिए गए शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा:

(1) "कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित प्रावधान के तहत पंजीकृत एक कंपनी।

(2) "सूक्ष्म वित्त ऋण" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में दिया गया है।

(3) "एनबीएफसी-एमएफआई" का अर्थ है गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी जिसकी कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों को घटाकर) का न्यूनतम 60 प्रतिशत निरंतर आधार पर "सूक्ष्म वित्त ऋणों" में लगाया गया है।

(4) "स्वामित्व वाली निधियों" का वही अर्थ होगा जो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में दिया गया है।

(5) "आरबीआई अधिनियम, 1934" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2)।

(6) "टियर 1 पूंजी" में वही मदें होंगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित हैं।

(7) "टियर 2 पूंजी" में वही मदें होंगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित हैं।

9. इन निदेशों में प्रयुक्त वे शब् या अभिव्यक्तियाँ, जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 अधिनियम का 2) अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 अधिनियम का 10) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त अधिनियमों में उन्हें दिया गया है। इन अधिनियमों में परिभाषित न किए गए किसी भी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में उन्हें दिया गया है।

अध्याय-II - निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण आवश्यकताएं

ए. निदेशक मंडल की भूमिका

10. एनबीएफसी-एमएफआई उचित प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगी और आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करेगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली ऐसी नीतियों की एक उदाहरण सूची नीचे दी गई है। इन नीतियों में संबोधित किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं का विवरण इन निदेशों के संबंधित पैराग्राफ में दिया गया है:

(1) **भौगोलिक विविधीकरण:** एनबीएफसी-एमएफआई विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में किसी भी अवांछनीय संकेंद्रण से बचने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक जोखिम सीमाएं स्थापित करेगी।

बी. पंजीकरण आवश्यकताएं

11. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निदेश, 2025 के अध्याय III में निर्दिष्ट पंजीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।

अध्याय-III - अर्हकारी आस्तियां और अनुमेय गतिविधियां

ए. अर्हकारी आस्ति मानदंड

12. एनबीएफसी-एमएफआईस की 'अर्हकारीआस्तियों' की परिभाषा को उपर्युक्त पैराग्राफ 8(2) में निर्दिष्ट 'सूक्ष्म वित्त ऋणों' की परिभाषा के साथ संरेखित किया गया है। एनबीएफसी-एमएफआईस की अर्हकारी आस्तियां, निरंतर आधार पर कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) का न्यूनतम 60 प्रतिशत होंगी। यदि कोई एनबीएफसी-एमएफआई लगातार चार तिमाहियों तक उपर्युक्त अर्हकारीआस्तियों को बनाए रखने में विफल रहती है, तो वह इस मामले में विचार करने के लिए एक उपचारात्मक योजना के साथ रिज़र्व बैंक से संपर्क करेगी।

बी. केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चैनलाइज़िंग एजेंट

13. केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चैनलाइज़िंग एजेंट के रूप में कार्य करने वाली एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित दिशानिदेशों का पालन करेंगी:

(1) केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए चैनलाइज़िंग एजेंट के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा वितरित या प्रबंधित ऋण को एक अलग व्यवसाय खंड माना जाएगा। इन ऋणों को सूक्ष्म वित्त ऋणों की न्यूनतम सीमा के अनुपालन का निर्धारण करने के उद्देश्य से न तो डिनॉमिनेटर (कुल आस्तियां) और न ही न्यूमैरेटर (सूक्ष्म वित्त ऋण) में शामिल किया जाएगा।

(2) एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों की विशेष योजनाओं के तहत ऋण वितरण के लिए चैनलाइज़िंग एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है:

(i) ऐसे ऋणों के लिए खाते और रिकॉर्ड के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य राशि को एनबीएफसी-एमएफआई की बहियों में अन्य आस्तियों और देनदारियों से अलग रखा जाएगा, और आवश्यक विवरण और प्रकटीकरण के साथ वित्तीय / अंतिम खातों / तुलन पत्र में एक अलग खंड के रूप में दर्शाया जाएगा;

(ii) ऐसे ऋण लागू आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रावधान मानदंडों के साथ-साथ एनबीएफसी-एमएफआईस पर लागू अन्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगे, सिवाय उन मामलों में जहां एनबीएफसी-एमएफआईस कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाती है;

(iii) ऐसे सभी ऋणों की सूचना साख सूचना कंपनियों को दी जाएगी ताकि उधारकर्ता के ऋण का पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जा सके और एकाधिक उधार लेने से रोका जा सके।

सी. सूक्ष्मवित्त गतिविधियों में संलग्न 'गैर-लाभकारी' कंपनियां

14. सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में संलग्न 'गैर-लाभकारी' (नॉट फॉर प्रॉफिट) कंपनियों, जिनकी आस्तियां ₹100 करोड़ और उससे अधिक हैं, उनसे आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए, 45-आईबी और 45-आईसी से छूट वापस ले ली गई है।

15. 'गैर-लाभकारी' कंपनियां जो उपरिलिखित छूटों के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें एनबीएफसी-एमएफआईस के रूप में पंजीकरण कराना और एनबीएफसी-एमएफआईस पर लागू नियमों का पालन करना आवश्यक है। ऐसी कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जो कंपनियां वर्तमान में एनबीएफसी-एमएफआईस के लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं, उन्हें पंजीकरण आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निर्धारित नियमों को पूरा करने के लिए एक रोडमैप शामिल होगा।

अध्याय-IV - विवेकपूर्ण विनियमन

ए. पूंजी आवश्यकता

16. एनबीएफसी-एमएफआई को टियर 1 और टियर 2 पूंजी से युक्त एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा जो उसकी तुलन-पत्र (ऑन-बैलेंस शीट) की कुल जोखिम भारित आस्तियों और तुलन-पत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) वस्तुओं के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

17. किसी भी समय कुल टियर 2 पूंजी टियर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

18. पूंजी पर्याप्तता के लिए तुलन-पत्र की और तुलन-पत्रेतर आस्तियों का ट्रीटमेंट भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अनुसार होगा।

19. एनबीएफसी-एमएफआई को पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर देनदारियों के ट्रीटमेंट के संभान्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

20. सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत ऋणों के लिए, एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जोखिम भार लागू करेगी।

21. पैराग्राफ 6(1), 6(2) और 17 को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निहित अन्य सभी प्रावधान, जहां भी इन निदेशों की सामग्री के साथ विरोधाभासी नहीं हैं, एनबीएफसी-एमएफआईस पर लागू होंगे।

बी. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड

22. एनबीएफसी-एमएफआई अपने सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाएगी:

बी.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

23. मानक आस्ति से तात्पर्य उस आस्ति से है जिसके संबंध में मूलधन की चुकौती या ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं देखी गई है और जो कोई समस्या प्रकट नहीं करता है और न ही व्यवसाय से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वहन करता है।

24. अनर्जक आस्ति का अर्थ है एक ऐसी आस्ति जिसके लिए ब्याज / मूलधन भुगतान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है।

बी.2 प्रावधान मानदंड

25. एनबीएफसी-एमएफआईस के सूक्ष्म वित्त ऋण से संबंधित अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(1) एनबीएफसी-एमएफआईस द्वारा किसी भी समय बनाए रखा जाने वाला कुल ऋण प्रावधान निम्न के उच्चतर से कम नहीं होगा -

(i) बकाया ऋण पोर्टफोलियो का 1 प्रतिशत या

(ii) कुल ऋण किश्तों, जो 90 दिनों से अधिक और 180 दिनों से कम के लिए अतिदेय हैं, का 50 प्रतिशत और कुल ऋण किश्तों, जो 180 दिनों या उससे अधिक के लिए अतिदेय हैं, का 100 प्रतिशत।

26. यदि निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) गारंटी द्वारा कवर किया गया अग्रिम अनर्जक हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में उल्लिखित प्रावधान मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

27. स्केल आधारित विनियामक ढांचे के किसी विशेष स्तर में आने वाली एनबीएफसी-एमएफआई के सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए मानक आस्ति प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में संबंधित स्तर के लिए दिए गए निदेशों के अनुसार होगा।

28. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निदेश, 2025 में निहित अन्य सभी प्रावधान, जहां भी इन निदेशों की सामग्री के विरोधाभासी नहीं हैं, एनबीएफसी-एमएफआईस पर लागू होंगे।

सी. दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

29. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

डी. निवेश पोर्टफोलियो

30. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

ई. आस्ति देयता प्रबंधन

31. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

एफ. लाभांश की घोषणा

32. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

अध्याय-V - शेयरधारिता और कॉर्पोरेट अभिशासन

ए. शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण

33. एनबीएफसी-एमएफआई पैराग्राफ 6(3) और 6(4) को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण), 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

बी. कॉर्पोरेट अभिशासन

34. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

अध्याय-VI - जोखिम प्रबंधन

ए. ऋण जोखिम प्रबंधन

35. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

बी. ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण

36. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

सी. संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन

37. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

डी. आउटसोर्सिंग में जोखिम

38. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिम का प्रबंधन) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

ई. परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलापन पर मार्गदर्शन नोट

39. एनबीएफसी-एमएफआई समय-समय पर संशोधित 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलापन पर मार्गदर्शन नोट' का उपयोग कर सकती है।

अध्याय-VII - विविध निदेश

ए. ऋण सुविधाएं और वित्तीय सेवाएं

40. एनबीएफसी-एमएफआई ऋण सुविधाओं और विभिन्न वित्तीय सेवाओं पर निम्नलिखित निदेशों का पालन करेगी:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6 से 14, 23 से 33 और 50 से 57।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट कार्ड: जारी करना और आचरण) निदेश, 2025।

बी. कारोबार परिचालन

41. एनबीएफसी-एमएफआई निम्नलिखित निदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का ट्रीटमेंट) निदेश, 2025।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - विविध) निदेश, 2025 के अध्याय II और III ।

सी. प्रस्तुति और प्रकटीकरण

42. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

डी. शाखा / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या सहायक/ संयुक्त उद्यम खोलना / विदेश में निवेश करना

43. एनबीएफसी-एमएफआई शाखा / विदेश में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने और शाखाओं को बंद करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 10, 11, 13, 14 और 15 में निहित प्रावधानों का पालन करेगी।

44. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाओं का कारोबार) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 15 से 19 में निहित प्रावधानों का पालन करेगी।

ई. स्वैच्छिक विलय

45. एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्वैच्छिक विलय) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

एफ. एसआरओ का गठन

46. एनबीएफसी-एमएफआई कम से कम एक एनबीएफसी-एमएफआईस के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की सदस्य बनेगी जो रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है और एसआरओ द्वारा निर्धारित आचार संहिता का भी पालन करेगी।

47. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त एसआरओ को निम्नलिखित कार्यों और दायित्वों के समूह का पालन करना होगा, जिन्हें इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है:

(1) एनबीएफसी-एमएफआईस के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए मानदंड

(i) एसआरओ के पास मान्यता के समय कम से कम 1/3 एनबीफसी-एमएफआईस सदस्यों के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।

(ii) इनके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, ताकि वह सदस्यों से प्राप्त अंशदान पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना अपने कार्यों का निर्वहन कर सके।

(iii) एसआरओ के ज्ञापन / उप-नियमों में सदस्यों को शामिल करने के मानदंड और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को, उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में, स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

(iv) एसआरओ के ज्ञापन / उप-नियमों में, उन तरीकों का प्रावधान होगा जिनके अनुसार एसआरओ का संचालक मंडल / निदेशक मंडल कार्य करेगा।

(v) बोर्ड में बड़े और छोटे एनबीएफसी-एमएफआईस दोनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(vi) निदेशक मंडल का 1/3 हिस्सा स्वतंत्र होगा और सदस्य संस्थानों से जुड़ा नहीं होगा।

(vii) निदेशक मंडल और प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों को रिज़र्व बैंक द्वारा 'उपयुक्त और उचित' माना जाएगा।

(viii) इनके पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होंगे।

(ix) एसआरओ सभी हितधारकों के हित में कार्य करेगा और इन्हें केवल एक उद्योग निकाय के रूप में नहीं देखा जाएगा।

(x) एसआरओ अपने सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले आचार संहिता का निर्माण करेगा।

(xi) इनमें एक शिकायत निवारण तंत्र और विवाद समाधान तंत्र स्थापित होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से नियुक्त शिकायत निवारण नोडल अधिकारी भी शामिल है।

(xii) यह प्रवर्तन समिति के माध्यम से आचार संहिता और रिज़र्व बैंक के विनियामक निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्यों पर निगरानी रखने की स्थिति में होगा।

(xiii) इनकी अपने सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमआयोजित करने, तथा एमएफआई क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान और विकास का परिचालन करने जैसी विकासात्मक भूमिका भी होगी।

(2) रिज़र्व बैंक के प्रति एसआरओ की बाध्यताएं

(i) एक बार मान्यता प्राप्त होने के बाद, एसआरओ एक अनुपालन अधिकारी नामित करेगा जो सीधे रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा और जो रिज़र्व बैंक को उस क्षेत्र में हो रहे सभी विकासों के संबंध में नियमित रूप से अवगत कराएगा।

(ii) एसआरओ अपनी वार्षिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंपेगा।

(iii) यह रिज़र्व बैंक द्वारा जताए गए चिंता के क्षेत्रों की जांच करेगा।

(iv) एसआरओ अपने किसी भी सदस्य द्वारा आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों, परिपत्रों या दिशानिदेशों के उल्लंघन के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करेगा।

(v) यह समय-समय पर या रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर रिज़र्व बैंक को डेटा सहित जानकारी प्रदान करेगा।

(vi) यदि आवश्यकता हो तो रिज़र्व बैंक एसआरओ के बहीखातों का निरीक्षण करेगा या किसी लेखा फर्म द्वारा उन बहीखातों का निरीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा।

जी. अनुपालन की निगरानी

48. एनबीएफसी-एमएफआईस के लिए निर्धारित सभी विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एनबीएफसी-एमएफआई पर ही होती है। उद्योग संघ / एसआरओ भी विनियामक ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, एनबीएफसी-एमएफआईस को ऋण देने वाले बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएफसी-एमएफआईस में प्रणाली, प्रथाएं और ऋण नीतियां विनियामक ढांचे के अनुरूप हों।

एच. एनबीएफसी के सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए निदेश

49. एनबीएफसी-एमएफआईस सहित सभी एनबीएफसी के सूक्ष्म वित्त ऋण समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिम का प्रबंधन) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित होंगे। कोई भी एनबीएफसी, जो एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में योग्य नहीं है, वह अपनी कुल आस्तियों के 25 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म वित्त ऋण नहीं प्रदान करेगी।

अध्याय-VIII - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

50. इन निदेशों के जारी होने के साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर लागू मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। पहले से निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

51. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई, या आरंभ की गई कार्रवाई, उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरसित सूची के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा पावती इन निदेशों द्वारा शासित माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के निरस्त होने से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(i) इनके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व या देनदारी;

(ii) इनके अंतर्गत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, ज़ब्ती या दंड;

(iii) उपर्युक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माना, ज़ब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय प्रारंभ, जारी या लागू किया जा सकता है तथा ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे मानो वे निदेश, अनुदेश या दिशा-निर्देश निरस्त नहीं किए गए हों।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

52. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवमानना नहीं करेंगे।

सी. विवेचनाएं

53. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझता है तो यहां शामिल किसी भी मामले के

संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक